बिहार सरकार

वित्त विभाग

अ धि सू च ना

पटना दिनांक- 18-09-19

सं०-एम-4-07/2018.....7630...../वि०, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-
   (1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी ।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
   (3) यह तुरंत प्रवृत होगी ।
2. GeM Portal पर उपलब्ध सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-30 के उप नियम (xx)(क) के प्रावधान में प्रयुक्त अंक एवं शब्द "₹50,000/- तक" को "₹25,000/- तक" के द्वारा एवं नियम-30 के उप नियम (xx)(ख) के प्रावधान में प्रयुक्त अंक एवं शब्द "₹50,000/- से अधिक एवं ₹30,00,000/- तक" को "₹25,000/- से अधिक एवं ₹5,00,000/- तक" के द्वारा तथा नियम-30 के उप नियम (xx)(ग) के प्रावधान में प्रयुक्त अंक एवं शब्द "₹30,00,000/- से अधिक" को "₹5,00,000/- से अधिक" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, परन्तु मोटर गाड़ियो के क्रय के मामलें में नियम-30 के उप नियम (xx)(ख) एवं (ग) में प्रावधानित क्रय की सीमा पूर्व की भांति ₹30,00,000/- यथावत रहेगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-07/2018.....7630...../वि० पटना, दिनांक.....18-09-19

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-07/2018.....7630...../वि० पटना, दिनांक.....18-09-19

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-07/2018.....7630...../वि० पटना, दिनांक.....18-09-19

प्रतिलिपि:-ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-07/2018.....7630...../वि० पटना, दिनांक.....18-09-19

प्रतिलिपि:-माननीय उप मुख्य(वित्त) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)